महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
ई-मेल/E-mail : registrar.mgahv@gmail.com

क्रमांक : 006/Estt.Gen/38/IQAC/Vol.II /436
दिनांक : 11 /03/2024

सूचना

समस्त संकाय सदस्यों, जिनका कैरियर प्रोन्नयन देय है एवं आवेदन अभी तक नहीं भरा है, को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप अर्हता होने पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में अपने प्रोन्नयन का आवेदन भरकर अपेक्षित अवधि के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) तथा अन्य दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें। आवेदन भरते समय सुविधा हेतु परिशिष्ट-1 का अवलोकन किया जा सकता है।

साथ ही, सभी संकाय सदस्यों से अकादमिक वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) भी निर्धारित प्रपत्र (वेबसाइट पर उपलब्ध) में भरकर उचित माध्यम से यथासमय जमा करना अपेक्षित है। जिन संकाय सदस्यों द्वारा इसके पूर्व अकादमिक वर्ष 2022-23 का APAR किन्हीं कारणवश अभी तक न जमा किया हो तो उसे भी वे कृपया उच्च प्राथमिकता पर जमा करवाएँ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं अकादमिक निदेशक से अनुरोध है कि अपने-अपने विभागों/केंद्रों के संकाय सदस्यों से प्राप्त कैरियर प्रोन्नयन के आवेदन तथा वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन का मूल्यांकन कर अपनी संस्तुति सहित कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि कार्यवाही समय पर की जा सके।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

11/03/24

(डॉ. धरवेश कठेरिया)
कुलसचिव

प्रति (ई-मेल द्वारा): समस्त संकाय सदस्य।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी
3. निदेशक,आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ
4. कुलसचिव कार्यालय
5. लीला प्रभारी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. संबंधित पत्रावली।

<u>परिशिष्ट- 1</u>

<u>कैरियर प्रोन्नयन का आवेदन भरते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु</u>

कैरियर प्रोन्नयन योजना अंतर्गत प्रकरणों पर ससमय कार्रवाई हेतु समस्त संबंधित संकाय सदस्य परिपत्र क्रमांक Estt./006/5-1/2014/853 दिनांक 21.10.2020 की तारतम्यता में कृपया निम्नांकित बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपना आवेदन जमा करें :

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के अनुसार आवेदक अर्हता पूरी करने पर निर्धारित तिथि से 03 माह पूर्व तक आवेदन कर सकता है।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के बाद ही किया जायेगा। जब ऐसे अभ्यर्थी बाद में किए गये मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष मानी जायेगी। अत: अगले चरण में उन्नयन हेतु अपेक्षित अर्हता तथा तदनुसार अपनी योग्यताओं की भली-भांति पुष्टि होने पर ही आवेदन करें।
3. आवेदन के साथ अपेक्षित समस्त दस्तावेजों को आवेदक द्वारा स्व-सत्यापित किया जाय।
4. अपने एपीआई / शोधांक के दावे की पुष्टि के लिए APAR, समय-सारिणी, बाहय संस्थानों से किए गए अभिविन्यास कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों आदि हेतु कर्तव्यावकाश/कर्तव्यस्थ अवधि संबंधी सहभागिता के प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ उल्लिखित अवधि का सक्षम अधिकारी का स्वीकृति आदेश संलग्न करें।
5. ई-लर्निंग डिलीवरी प्रोसेस मैटिरियल के विकास मॉडयूल्स की संख्या भी अंकित करें।
6. आवेदन में संलग्न सभी दस्तावेजों को पृष्ठांकित करें तथा इसकी सूची आवेदन के साथ आरम्भ में लगाएं।
7. आवेदन (हार्ड कॉपी) की दो प्रति तथा सॉफ्ट-कॉपी ई-मेल से संबंधित विभागाध्यक्ष/अकादमिक निदेशक/केंद्र निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाय जिसे उनके द्वारा अनुशंसा के साथ संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता को भिजवाया जा सके।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त के साथ-साथ अर्हता, एपीआई/शोधांक की गणना आदि आवेदन भरने के संबंध में यूजीसी / शिक्षा मंत्रालय आदि द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित संशोधन/लोक सूचना यथावत लागू होंगे।

11/03/21

(डॉ. धरवेश कठेरिया)
कुलसचिव